GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK

Date: 07.12.2017

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 81 of 2017)

Sub: Clarification on booking of YTSK tickets through telephone.

With a view to expanding the facilities for issuing of tickets (both reserved and unreserved) and allowing public private partnership in establishment and operation of computerized PRS-cum-UTS terminals at centres called Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK), the YTSK scheme was launched vide Commercial Circular no. 33 of 2014. Thereafter, on the basis of feedback received, amendments have been made in the scheme from time to time.

2. A reference has been received from Northern Railway forwarding therewith a request received from YTSK Association, Delhi's to permit YTSKs to book tickets on telephone. In this connection, the Association has referred to the feature of booking reserved ticket telephonically which finds mention in both RTSA Rules, 1985 as well as RTSA Rules, 2014 (under which RTSAs started functioning as e-ticketing agents).

3. The matter has been examined in this office and keeping in view the fact that the provision for booking reserved ticket telephonically figures in RTSA Rules, 1985 as well as RTSA Rules, 2014 and also in Computerised Ticket Service Provider Licencee (CTSPL) scheme which was introduced in the year 2000 allowing provision of PRS terminals to RTSAs, it has been decided that YTSKs may be allowed to book tickets on telephone. However, Zonal Railways are requested to ensure that in case the YTSK licensee acts on a telephone call, a written request shall be obtained by the Licensee from the client before delivering the railway ticket to him.

4. Necessary instructions may be issue to all concerned accordingly.

07/12/17
(Harvinder Singh)
Jt. Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2017/टीजी-1/23/वाईटीएसके दिनांक 07.12.2017

प्रधान मुख्य वाणिजियक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 81)

विषय: टेलीफोन के माध्यम से वाईटीएसके टिकटों की बुकिंग के संबंध में स्पष्टीकरण।

*****

टिकटें (आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों) जारी करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने तथा संस्थापनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को अनुमेय करने और केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत पीआरएस-कम–यूटीएस टर्मिनलों, जिन्हें यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) भी कहा जाता है, के परिचालन को ध्यान में रखते हुए, 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके योजना आरंभ की गई थी। तत्पश्चात् प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस योजना में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

2. उत्तर रेलवे से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ वाईटीएसके एसोसिएशन, दिल्ली का पत्र अग्रेषित किया गया है जिसमें टेलीफोन पर टिकटें बुक करने के लिए वाईटीएसके को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, एसोसिएशन ने टेलीफोन के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक करने की विशेषताओं का हवाला दिया है, जिसके बारे में आरटीएसए नियम, 1985 के साथ-साथ आरटीएसए नियम, 2014 दोनों में उल्लेख किया गया है (जिसके अंतर्गत आरटीएसए ने ई-टिकटिंग एजेंटों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है)।

3. इस कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरटीएसए नियम, 1985 के साथ-साथ आरटीएसए नियम, 2014 में टेलीफोन के माध्यम से आरक्षित टिकटों को बुक करने के प्रावधान का उल्लेख है और इसका उल्लेख कम्प्यूटरीकृत टिकट सेवा प्रदाता लाइसेंस (सीटीएसपीएल) योजना में भी है, जिसे आरटीएसए को पीआरएस टर्मिनलों के प्रावधान की अनुमति प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था, यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके को टेलीफोन पर टिकटों को बुक करने की अनुमति प्रदान की जाए। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यदि वाईटीएसके लाइसेंसधारी टेलीफोन कॉल पर कार्रवाई करता है, तो लाइसेंसधारी, ग्राहक को रेलवे टिकट सौंपने से पूर्व उससे एक लिखित अनुरोध प्राप्त करेगा।

TICKETING

4. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

हरविंदर सिंह
19/12/11
(हरविंदर सिंह)
संयुक्त निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ(सी), नि सतर्कता(टी), निदेशक,एफ(सी), प्रमुख निजी सचिव/ वित्त आयुक्त,वि का अधिकारी/टीसी, एफ(सी) व सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई- 400614.

****